प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

प्रेषित

समस्त उपनिदेशक,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

मेमो नं. ए.एच.–4/2019/2885 चण्डीगढ़ दिनांक 22/11/2019

विषयः पशुपालकों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) योजना बारे।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हरियाणा के किसानों को एक अद्भुत योजना का लाभ आप दिलवा पाएंगे, जिससे वे सदा के लिए आत्मनिर्भर और प्रगतिशील हो सकेंगे। यह योजना है **पशु किसान क्रेडिट कार्ड**। हमारी राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी (एस.एल.बी.सी.), हरियाणा द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग हेतु वित्त के पैमाने (स्केल ऑफ फाइनेंस) को अंतिम रूप देने के बाद एस.एल.बी.सी. द्वारा हरियाणा राज्य के सभी बैंकों को उपरोक्त वर्णित स्कीम बारे दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि आप विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दें कि वे इस योजना से सम्बन्धित सभी दिशा–निर्देशों का स्वयं अध्ययन करते हुए इस बारे अपने अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे इस योजना की जानकारी राज्य के पशुधन और कुक्कुट किसानों तक पहँचाएं, ताकि लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें पशुपालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया जा सके। सभी संबंधित उपमंडल अधिकारी और सीमन बैंक अधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में नोडल अधिकारी होंगे और क्रियान्वयन में पशु चिकित्सक/ब्लॉक स्तरीय एक्सटैंशन अधिकारी/वी.एल.डी.ए./पशु प्रीचर सभी को लक्ष्य दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी भूमिका निभाएं।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताएंः–

- पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा एक लाख साठ हजार (1,60,000/–) रूपये तक की राशि बिना कुछ गिरवी रखे किसी भी बैंक से ली जा सकती है (Without Collatoral)। इससे 1 रूपया भी अधिक होने पर Collatoral Security चाहिए होगी।
- सभी बैंकों द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस 7% ब्याज दर में से समय पर भुगतान करते रहने पर भारत सरकार की ओर से 3% ब्याज दर का अनुदान तीन लाख (अधिकतम 3,00,000/–) रूपये तक की ऋण राशि पर दिया जाता है।
- इस प्रकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा तीन लाख (3,00,000/–) रूपये तक का ऋण 4% सालाना साधारण ब्याज दर पर कुछ गिरवी रख कर लिया जा सकता है और 1.6 लाख तक बिना Collatoral Security के ले सकता है।
- इसके अतिरिक्त पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा 3,00,000/– रूपये से अधिक बकाया राशि का ऋण 12% सालाना साधारण ब्याज की दर पर लिया जा सकता है।

- पशुपालक द्वारा लिए गए ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय–समय पर ली जा सकती है और अपनी सुविधा अनुसार जमा करवा सकता है। सिर्फ यह याद रखना है कि पहली बार राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की समयावधि के अन्दर किसी भी एक दिन एक बार पूरी राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी, ताकि साल में एक बार ऋण मात्रा शून्य हो जाए। अन्यथा उसे ब्याज राशि पर 4% की छूट नहीं मिल पाएगी और डिफाल्ट के दिनों में 12% ऋण का भुगतान करना होगा।
- पशु किसान क्रेडिट कार्ड बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण डेबिट कार्ड की भाँति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने / बाजार से कोई भी खरीदारी करने हेतु प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग किया जा सकता है (जैसे महीने में 6797 की लिमिट है तो 6797 ही निकाले जा सकेंगे)।
- यदि किसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समयावधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता, तो उसे 12% सालाना ब्याज की दर से भुगतान करना होगा और जब तक वह इसका भुगतान नहीं कर देता, तब तक वह अपनी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से आगामी राशि नहीं निकाल पाएगा। इस राशि का भुगतान करने के उपरांत वह फिर से आगामी एक साल के लिए ऋण लेने का हकदार हो जाएगा।
- पशुओं की भिन्न–भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को प्रत्येक माह वित्तीय अवधि के हिसाब से बराबर ऋण दिया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जरूरी दस्तावेजः
  1. बैंक प्रारूप अनुसार आवेदन फॉर्म,
  2. हाईपोथिकेशन करार
  3. के.वाई.सी. पहचान हेतु दस्तावेज– वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि
  4. अन्य दस्तावेज, बैंक अनुसार।

प्रति पशु वित्तीय पैमाने का संक्षिप्त विवरणः

Sr. No.	Major Components / Items of recurring expenses Per Animal on annual basis	Cow / Exotic / Crossbred / Indi.	Buffalo	Sheep / Goat	Pig	Layer (life cycle of 72 week)	Broiler (life cycle of 2 Months)
1	Cost of Feed	51465	68985	1678	12592	657	103
2	Labor Cost	18000	18000	2000	2880	18	7
3	Water and Electricity Cost	7200	9000	120	300	3	1
4	Cost of Veterinary Aid	2400	3600	120	300	35	15
5	Subsidized Insurance Cost	100	100	25	25	-	-
6	Misc. Cost	2400	3600	120	240	7	5
7	Chick Cost	NA	NA	NA	NA	-	30
	G. Total	**81565**	**103285**	**4063**	**16337**	**720**	**161**
8	**Tenure of Scale of Finance**	**6 Months**	**7 Months**	**1 Year**	**1 Year**	**1 Year**	**3 Months**
9	**Scale of Finance per animal / bird**	**40783**	**60249**	**4063**	**16337**	**720**	**161**
10	**Repayment Period**	**1 Year**	**1 Year**	**1 Year**	**1 Year**	**1 Year**	**3 Months**

उदाहरणार्थः

यदि किसी पशुपालक के पास एक गाय है तो वह 40783/– रूपये तक का ऋण ले सकता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक गाय के लिए 40,783/– रूपये के ऋण हेतु बैंक से आधारित

वित्तीय पैमाने के आधार पर पशुपालक को ऋण 6 बराबर प्रतिमाह किश्तों में दिया जाएगा, अर्थात् पशुपालक अपनी इस गाय के पालन–पोषण के लिए हर महीने 6797/– *(40783 ÷ 6 = 6797/–)* **रूपये अपने क्रेडिट कार्ड से ऋण के तौर पर प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश किसी माह यह क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो पिछले महीने/महीनों का क्रेडिट वह अगले महीने भी ले सकता है। इस तरह 6 महीने में प्राप्त कुल राशि 40,783/– रूपये अब उसे एक साल के अंतराल के अन्तर्गत 4% सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्ड धारक का एक वर्ष राशि लौटाने का समय अंतराल उसी दिन से शुरू होगा, जिस दिन वही पहली किश्त प्राप्त करेगा।**

विभाग के पशु चिकित्सक/ब्लॉक स्तरीय एक्सटैंशन अधिकारी/वी.एल.डी.ए./पशु प्रीचर राज्य के सभी पशुपालकों और विशेष तौर पर दुग्ध शीतन केन्द्रों एवं दुग्ध संचयन केन्द्रों के स्तर पर संबंधित बैंकों के पशु किसान क्रेडिट कार्ड हेतु किसानों के आवेदन पत्र भरवाने में मदद करेंगे और निम्नलिखित निर्देशानुसार उन्हें वहाँ के नियोजित सर्विस एरिया के बैंक में जमा करवाएंगें:–

- विभाग दुग्ध संयंत्रों/दुग्ध संग्रह केन्द्रों/दुग्ध शीतन केन्द्रों और दुग्ध सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों / दुग्ध विक्रताओं को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म मुहैया करवाएगा। यह फॉर्म ऑनलाईन भी भरवाया जा सकता है।
- विभाग संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए पशु किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन भरवाने के लिए ब्लॉक स्तरीय एक्सटैंशन अधिकारी/वी.एल.डी.ए./पशु प्रीचरों की प्रतिनियुक्ति करेगा।
- पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन फॉर्म उनसे सम्बन्धित दुग्ध संयंत्रों/दुग्ध संग्रह केन्द्रों/दुग्ध शीतन केन्द्रों और दुग्ध सहकारी समितियों पर पशु प्रीचरों को एच.एल.डी.बी. द्वारा उपलब्ध करवाए गए टैब्स (Tablets) की मदद से भरे जाएंगे।
- अगले दिन पशु प्रीचर इस फॉर्म का प्रींट आऊट लेकर संबंधित किसान से हस्ताक्षर करवाएंगे और संबंधित बैंक में विधिवत हस्ताक्षरित मूल प्रति जमा करवाएंगे तथा आवश्यकतानुसार प्रार्थी का डाटा बैंक की साईट पर अपलोड करवाके पशुपालक को सूचित करेंगे कि उनका कार्ड कब और कहाँ आएगा।
- भरे गए फॉर्म की एक प्रति संबंधित उपमंण्डल अधिकारी/सीमन बैंक अधिकारी (नोडल अधिकारी, पी.के.सी.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जमा करवाई जाएगी।
- बैंकों को प्रेरित किया जाए कि उनके Business Correspondence Agents (BCA) पशुपालक के घर/दुग्ध शीतन केन्द्र से उनके पी.के.सी.सी. खाते मे पैसे वापिस जमा करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सभी संबंधित उपनिदेशकों और उपमण्डल अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे संबंधित जिला स्तरीय बैंकिंग समिति (DLBC) एवं ब्लॉक स्तरीय बैंकिंग समिति (BLBC)की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करें और लीड डिस्ट्रीक्ट मैनेजरों के साथ संबंधित बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करके जल्द से जल्द इस योजना को लागू करें, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक और कुक्कुट पालक किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके। संबंधित अधिकारी कृपया चिन्हित लाभार्थियों की सूची एक्सऐल (excel) प्रारूप में **अनुलग्नक– I** तथा **II** पर दर्शाए गए फार्मेट अनुसार ई–मेल आईडी dg.ahd@nic.in और acsahh@gmail.com पर 1 दिसंबर, 2019 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्त।

सुनिल के. गुलाटी (आई.ए.एस.)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।